



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072022-237707
CG-DL-E-29072022-237707

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 534]
No. 534]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2022/श्रावण 7, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2022/SHRAVANA 7, 1944

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

सा.का.नि. 607(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक (अराजपत्रित) काडर भर्ती नियम 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक (अराजपत्रित) काडर भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक (अराजपत्रित) काडर भर्ती नियम 2018 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है के नियम-11 में “सत्तावन वर्ष” शब्दों के स्थान पर, जहाँ जहाँ वे आते हैं “साठ वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।
- उक्त नियमों की अनुसूचि में,—
 - हेड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर) के पद से संबंधित क. सं. 4 के सामने स्तंभ (7) में, उपशीर्ष शारीरिक मानदंड के अधीन टिप्पण 2 में, “शिथिल की जा सकती है।” शब्दों के पश्चात्, “शिथिल की जा सकती है और पूर्वोत्तर राज्यों के पुरुष अनुसूचित जनजातियों की बाबत लंबाई में 5.5 सें. मी. (अर्थात् 162.5 सें. मी. से 157 सें. मी. तक) और शिथिल की जा सकती है।” शब्द अंतःस्थापित किये जाएंगे।
 - हेड कांस्टेबल (रेडियो मैकेनिक) के पद से संबंधित क. सं. 8 के सामने स्तंभ (7) में उपशीर्ष शारीरिक मानदंड के अधीन टिप्पण 2 में, “शिथिल की जा सकती है।” शब्दों के पश्चात्, “शिथिल की जा सकती है और

पूर्वोत्तर राज्यों के पुरुष अनुसूचित जनजातियों की बाबत लंबाई में 5.5 सें. मी. (अर्थात् 162.5 से. मी. से 157 सें. मी. तक) और शिथिल की जा सकती है।” शब्द अंतःस्थापित किये जाएंगे।

[फा. सं. सी-17/06/2019/गोपनीय-आर आर/सी. सु. बल]

पी. एस. डंगवाल, उप सचिव (कार्मिक-I)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1069(अ) तारीख 26 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

G.S.R. 607(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Home Affairs, Border Security Force, Radio Operator and Radio Mechanic (Non-Gazetted) Cadre Recruitment Rules, 2018, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Border Security Force, Radio Operator and Radio Mechanic (Non-Gazetted) Cadre Recruitment (Amendment) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Ministry of Home Affairs, Border Security Force, Radio Operator and Radio Mechanic (Non-Gazetted) Cadre Recruitment Rules, 2018, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 11, wherever they occur, for the words “fifty-seven years”, the words “sixty years” shall be substituted.
3. In the said rules, in the Schedule,-

(i) against serial number 4, relating to the post of Head Constable (Radio Operator), in column (7) under sub-heading ‘Physical standards’ in Note 2, after the words, Tribals including Mizos and Nagas, following shall be inserted, namely:-

“and further relaxed by 5.5 cms (i.e. from 162.5 cms to 157 cms) in respect of male Schedule Tribes of North-eastern States”;

(ii) against serial number 8, relating to the post of Head Constable (Radio Mechanic), in column (7) under sub-heading ‘Physical standards’ in Note 2, after the words, Tribals including Mizos and Nagas, following shall be inserted, namely:-

“and further relaxed by 5.5 cms (i.e. from 162.5 cms to 157 cms) in respect of male Schedule Tribes of North-eastern States”.

[F. No. C-17/06/2019/Confdl-RRs/BSF]

P. S. DANGWAL, Dy. Secy. (Pers-I)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 1069(E), dated the 26th October, 2018.